बोनार्ड स्टैंडर्ड

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने **बोनार्ड स्टैंडर्ड** की पुनः पुष्टि की है, यह ज़ोर देते हुए कि मानहानि मामलों में, विशेषकर पत्रकारों से जुड़े मामलों में, **मुकदमे से पूर्व-परीक्षण निषेधाज्ञा (Pre-trial injunction)** देने के लिये कड़ी शर्तें लागू हों, ताकि वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता **तथा जनहित** की रक्षा की जा सके।

बोनार्ड स्टैंडर्ड

- **परिचय: बोनार्ड बनाम पेरीमैन (1891, यूनाइटेड किंगडम)** मामले में स्थापित स्टैंडर्ड यह है कि **निषेधाज्ञा** केवल तभी दी जा सकती है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि **प्रतिवादी मानहानि के दावे को उचित नहीं ठहरा सकता है** और यह केवल संदेह पर आधारित नहीं है।
  - **निषेधाज्ञा** एक न्यायालय का आदेश है, **जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्य को करने या उसे रोकने के लिये बाध्य करता है।**
- **ब्लूमबर्ग केस, 2024:** वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस **सिद्धांत या मानक** को बरकरार रखा तथा ब्लूमबर्ग के खिलाफ एकपक्षीय निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया।
  - न्यायालय ने **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस की सुरक्षा** के महत्त्व पर ज़ोर दिया, यह कहते हुए कि ऐसी निषेधाज्ञाएँ केवल तभी दी जानी चाहिये, जब इन्हें न देने से **अधिक अन्याय** होगा।
- **अडानी मामले में उल्लंघन:** दिल्ली के एक निचले न्यायालय ने पत्रकारों को **अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL)** के बारे में कथित रूप से **अपमानजनक सामग्री** प्रकाशित करने से रोक दिया और **वादी (अडानी)** को **36 घंटे के भीतर सामग्री हटाने की मांग करने की अनुमति दी।** इस मानक का उल्लंघन निम्नलिखित द्वारा किया गया:
  - पत्रकारों का पक्ष सुने बिना ही एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना।
  - **प्रकाशन पर 'पूर्व प्रतिबंध' के रूप में कार्य करना**, जिसे **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत **मौलिक अभिव्यक्ति के अधिकार पर असंवैधानिक प्रतिबंध** माना जाता है।
- **कानूनी ढाँचा:**
  - संविधान का अनुच्छेद 19(2) मानहानि सहित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। हालाँकि, प्रतिबंधों का औचित्य सिद्ध होना आवश्यक है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने बिना उचित सुनवाई के **एकपक्षीय निषेधाज्ञा** देने की बार-बार आलोचना की है और **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जनता के जानने के अधिकार** पर इसके गंभीर परिणामों पर ज़ोर दिया है।

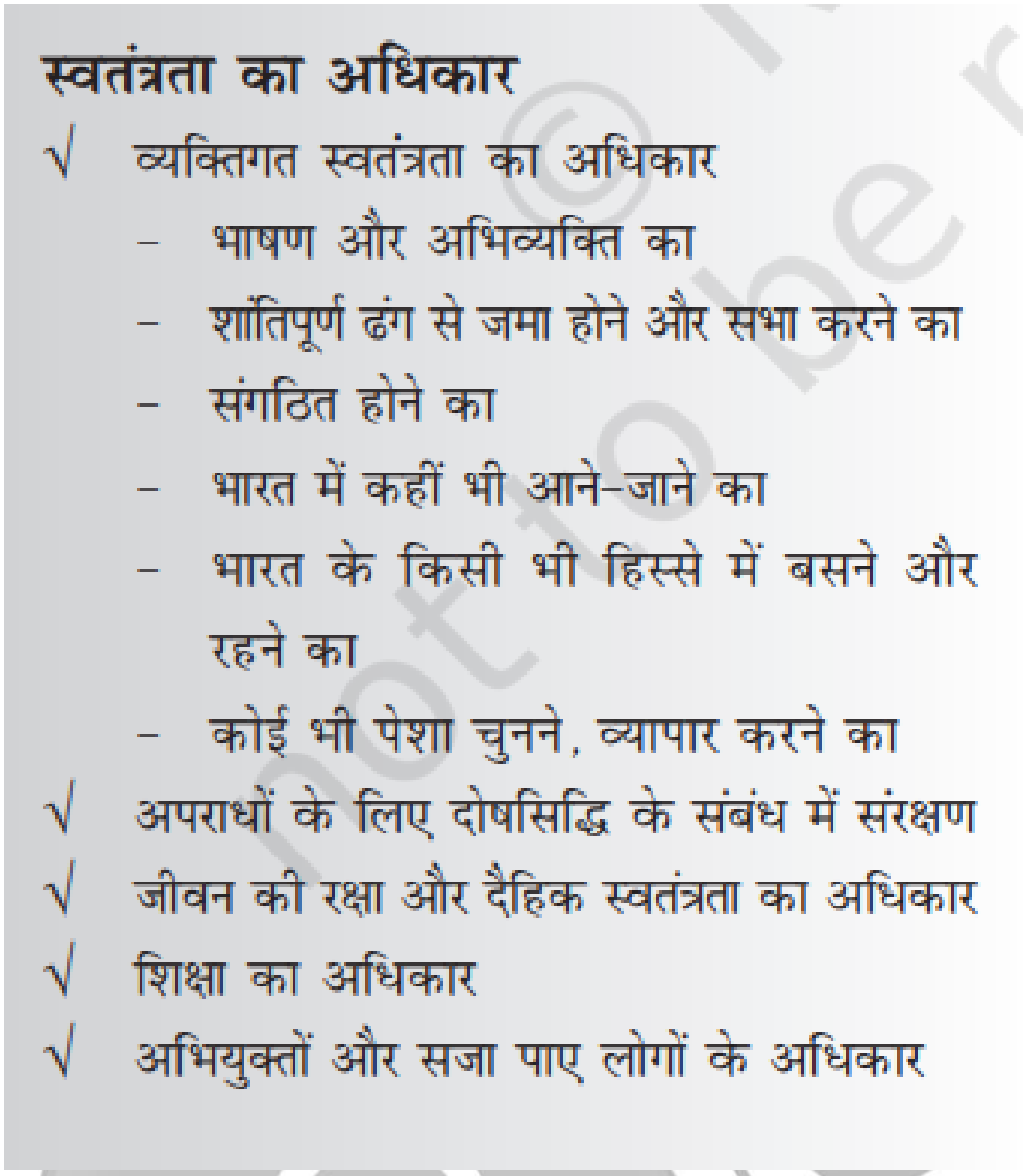

स्वतंत्रता का अधिकार

√ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

- भाषण और अभिव्यक्ति का
- शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का
- संगठित होने का
- भारत में कहीं भी आने-जाने का
- भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का
- कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का

√ अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

√ जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

√ शिक्षा का अधिकार

√ अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार

और पढ़ें: भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये ऐतिहासिक फैसले

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bonnard-standard